निग -4106 — I -15

165

BEFORE THE BOARD OF REVENUE, MADHYA PRADESH GWALIOR

REVISION NO. /2015

श्री आरआर व्हारे कोह द्वारा आज दि. 28.12.15 को प्रस्तुत

28.12.15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Mayank, Aged 39 years, S/o Shri Ramnarayan Tenguriya, By Caste: Brahmin, R/o Ward No.17, In front of Anand Bhawan, Kalyanji Mandir, Ganj Basoda, District Vidisha (M.P.)

....PETITIONER

Versus

Ramesh Chandra Sharma, Aged 72 years, S/o Late Shri Bhanwar Lal Sharma, By Caste: Brahmin, R/o Ward No.17, Pandapura, Ganj Basoda, District Vidisha (M.P.)

....RESPONDENT

Revision under section 50 of the M.P. Land Revenue Code, 1959 against the order dated 20.11.2015 passed by the Sub Divisional Officer (Revenue), Basoda, District Vidisha in Case No.85/Appeal/2014-15 (Ramesh Chandra Sharma

XXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 4106 -एक/2015 निगरानी जिला विदिशा

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24.6.16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, बासोदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 85/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-11-2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक श्री जी0एन0बाजपेयी ने लेखी बहस प्रस्तुत की। अनावेदक स्वयं उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस पर विचार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ प्रकरण में विचार योग्य है कि तहसीलदार बासोदा व्दारा पारिवारिक विभाजन के आधार पर प्रकरण कमांक 20-अ-6/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 31-1-2007 से हितबद्ध पक्षकारों का नामान्तरण किया है जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी बासोदा के समक्ष दिनांक 10-7-2015 को अपील प्रस्तुत हुई है एंव अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा--5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी बासोदा ने प्रकरण कमांक 85/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-11-2015 से 8 वर्ष 6 माह के विलम्ब को क्षमा कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।	

4/ देखना यह है कि अनुविभागीय अधिकारी वासोदा व्दारा प्रकरण कमांक 85/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–11–2015 से 8 वर्ष 6 माह के विलम्ब को क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है अथवा नहीं ? तहसीलदार का नामान्तरण आदेश दिनांक 31–1–2007 को पारित हुआ है जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी बासोदा जिला विदिशा के समक्ष दिनांक 10–7–2015 को अपील प्रस्तुत हुई है अर्थात अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा–5 में वर्णित तथ्यों को समधानकारक मानते हुये 8 वर्ष 6 माह के विलम्ब को क्षमा किया है।

1. ब्बीता रानी बनाम भगवतीवाई 2006 (2) म0प्र0लॉ0ज0 45 (म.प्र.) में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने की अवधि का अवसान हो गया था। इस अवधि के अवसान होने के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में पूर्व में ही मूल्यवान अधिकार उत्पन्न हो गया था और ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत रहा है कि इस मूल्यवान अधिकार में आधारहीन अथवा अस्पष्ट आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)–47– एंव परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता। (स्टेट आफ एम0पी0 विरूद्ध सवजीराम 1995 (2) म0प्र0वी.नो0 193 से अनुसरित)
3. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा–5 – विलम्ब क्षमा किये जाने की मांग धारा–5 के आवेदन में की

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 4106 –एक/2015 निगरानी जिला विदिशा

तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर

गई। विलम्ब क्षमा किये जाने के समुचित कारण दर्शाए जाने में विफलता पाई गई। आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(स्टेट आफ एम.पी. बनाम फकीरचंद 1980(2) म0प्र0वी0नो0 199 एंव स्टेट आफ एम.पी. बनाम रामप्रकाश शर्मा 1989 जे.एल.जे. 36 एम.पी. से अनुसरित

उपरोक्त कारणों से अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20–11–15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार व्दारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 31–1–2007 के विरूद्ध 8 वर्ष 6 माह के विलम्ब से अपील प्रस्तुत हुई है, जिसके कारण एक पक्षकार को लाभ देते हुये दूसरे पक्षकार के हित में प्रोद्भूत अधिकारों को विनष्ट नहीं जा सकता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी वासोदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 85/2014–15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20–11–2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ विलम्ब से अपील प्रस्तुत होने के कारण मूल अपील भी निरस्त की जाती है।

सदस्य